न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 152/2011

वादीगण :-

1. तेजाराम पुत्र भंवरुराम जाट
2. घेवरराम पुत्र भंवरुराम जाट
3. कमलादेवी पत्नी बाबूलाल जाट
4. किशोर पुत्र बाबूलाल जाट
5. शांति पुत्री बाबूलाल जाट
6. छोगाराम पुत्र हापूराम जाट
7. दानाराम पुत्र हापूराम जाट
8. रतनलाल पुत्र हापूराम जाट
9. चुतराराम पुत्र खाजूराम जाट
10. गेपूराम पुत्र खाजूराम जाट
11. गिरधारीराम पुत्र महाराम जाट
12. बुद्धाराम पुत्र महाराम जाट
13. शिवकरण पुत्र महाराम जाट
14. मल्लाराम पुत्र महाराम जाट
15. भंवरीदेवी पत्नी महाराम जाट
16. नौरत पुत्र टोडाराम जाट
17. रामकरण पुत्र टोडाराम जाट
18. छोटाराम पुत्र टोडाराम जाट
19. शिवकरण पुत्र शंकरराम जाट
20. बलदेवराम पुत्र शंकरराम जाट
21. सायरी पत्नी शंकरराम जाट
22. भंवरीदेवी पत्नी मंगलाराम जाट
23. बींजाराम पुत्र मंगलाराम जाट
24. कमलीदेवी पत्नी ओमाराम जाट
25. सुखेदव पुत्र ओमाराम जाट
26. छोटीदेवी पत्नी हरलाल जाट
27. भला पुत्र उगराराम जाट
28. शिम्भू पुत्र पेमाराम जाट
29. धारुराम पुत्र पेमाराम जाट
30. प्रभूराम पुत्र कालूराम जाट

समस्त निवासीगण-लाम्बिया
तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. प्रोजेक्ट डाईरेक्टर आर0एस0आर0डी0सी0 प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी मेडतासिटी, पैकेज-2 तहसील मेडता सिटी, जिला -नागौर राजस्थान
2. अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग,हाल मेडतासिटी, जिला नागौर राजस्थान
3. तहसीलदार जैतारण, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.13/07/2011

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 15/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में स्थित हैं। जिसके खसरा नम्बर 19 रकबा 0-05 बीघा किस्म गैर मुमकिन कुआ व खसरा नम्बर 20 रकबा 15-14 बीघा किस्म चाही अलीफ की आई हुई हैं। जिसके वादीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। इस भूमि को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। वादीगण की इस खातेदारी जमीन के पश्चिमी तरफ मेडता से रास जाने वाली सडक आई हुई हैं। जिसको अभी चार लाईन में बदले जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। उक्त रास्ता वक्त सैटलमेन्ट से लेकर के आज दिन तक वादीगण की खातेदारी जमीन से पश्चिमी तरफ ही स्थित हैं। वादीगण इस उपर वर्णित विवादित भूमि में कोई रास्ता नहीं हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त सडक फोर लाईन के लिये जाने हेतु अधिकृत किया हुआ हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के इस विवादित भूमि में से होकर के खसरा नम्बर 19 गैर मुमकिन बेरा जो कि मौके पर पक्का दुजोडिया बेरा खुदा हुआ हैं तथा इसी बेरे से वादीगण के इस खातेदारी भूमि की सिंचाई होती हैं। वादीगण अपनी जमीन की सिंचाई कर रबी व खरीफ की फसल प्राप्त करते हैं तथा इसी बेरे पर पर ही वादीगण की धार्मिक आस्था का प्रतीक एक मन्दिर भी बना हुआ हैं एवं वादीगण के कच्चे पक्के मकान भी आये हुये हैं तथा इस बेरे पर वादीगण का विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ हैं तथा विद्युत मोटरे भी कुएँ के अन्दर लगी हुई हैं। इस कृषि कुएँ व खातेदारी जमीन से वादीगण सभी का जीवन निर्वहन हो रहा हैं। वादीगण के इस खातेदारी के अलावा आय का अन्य कोई जरिया नही हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक व दो भारत सरकार द्वारा इस सडक को फोर लाईन की बनाने हेतु अधिकृत हैं एवं फोर लाईन सडक बनाने से पूर्व खातेदारों को उनको क्षतिपूर्ति की राशि भी दिये जाने हेंतु प्रावधान बने हुये हैं। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक व दो इन प्रावधानों की कोई पालना नही कर रहें हैं एवं जबरदस्ती लाठी,लकडी के बल पर वादीगण का कृषि कुआं तोडकर क्षतिग्रस्त कर उसमें मिटटी भरकर कुएं व खातेदारी जमीन में नये सिरे से रास्ता बनाने की कुचेष्ठा कर रहें हैं। जबकि विधिक प्रावधानों से परे जाकर प्रतिवादीगण ऐसा कृत्य नही कर सकते हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को उक्त जमीन की आवश्यकता होने पर वे वादीगण की इस जमीन कुएँ बाबत क्षतिपूर्ति करने के उपरान्त ही उक्त जमीन पर रास्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा नही कर रहे हैं एवं जबरदस्ती वादीगण की खातेदारी भूमि पर मौका देखकर रास्ता कायम करना चाहते हैं व कृषि कुएँ को तोडफोड कर समाप्त कर वही पर संडक कायम करने की एलांगिया कथन भी वादीगण कर रहे हैं। दिनांक 11/07/2011 को प्रतिवादीगण अपने साथ काफी संख्या में मजदूर व जे.सी.बी. वगैरह लेकर आये व मन्दिर व कृषि कुआ तोडने लगे, तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाया लेकिन उसके बावजुद भी प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो गये तो वादीगण को असीम क्षति होगी वादीगण के पूर्वजों के काल से बना हुआ कुआ समाप्त हो जायेगा एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आका जा सकता हैं। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसी अवैधानिक कार्यवाही का विरोध करेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब इन तमाम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश की हैं। प्रतिवादीगण संख्या तीन भूमिधारी राजस्थान के प्रतिनिधि हैं। जिनके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद श्रीमान के समक्ष अनुमति लेकर पेश किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश हैं। बिनायवाद दिनांक 11/07/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की इस विवादित आराजी पर आकर वादीगण का कृषि कुआ व मन्दिर तोड़कर रास्ता कायम करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-गांगलिया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि वादी की जमीन सड़क निर्माण में नहीं आती हैं। निर्माण कार्य रुकवाने के लिए यह कार्यवाही की गई हैं। सड़क का निर्माण फोरलाईन के लिए हो रहा हैं और वादी का कुआ और जमीन सड़क निर्माण में नहीं आती हैं। वादी का वाद खारिज किया जावें। अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में मौके की स्थिति तहसीलदार, जैतारण से मंगवाई गई। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी जांच में कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी में से एन.एच. सड़क निर्माण किया जाना तथा कुआ आदि निर्माण प्रभावित होना सिद्ध नहीं होता हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया में पेश हुई। वादीगण का वाद में जो अनुतोष चाहा हैं। वह नहीं दिया जा सकता हैं। मौके की रिपोर्ट से प्रतीत होता हैं कि सड़क निर्माण में वादी की भूमि एवं कुआ नहीं आता हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को सड़क निर्माण कार्य में किसी तरह से रोकना उचित नहीं समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः मौके की रिपोर्ट से प्रतीत होता हैं कि सड़क निर्माण में वादीगण की भूमि एवं कुआ नहीं आता हैं। लिहाजा वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. तेजाराम पुत्र भंवरुराम जाट
2. घेवरराम पुत्र भंवरुराम जाट
3. कमलादेवी पत्नी बाबूलाल जाट
4. किशोर पुत्र बाबूलाल जाट
5. शांति पुत्री बाबूलाल जाट
6. छोगाराम पुत्र हापूराम जाट
7. दानाराम पुत्र हापूराम जाट
8. रतनलाल पुत्र हापूराम जाट
9. चुतराराम पुत्र खाजूराम जाट
31 गेपूराम पुत्र खाजूराम जाट
32 गिरधारीराम पुत्र महाराम जाट
33 बुद्धाराम पुत्र महाराम जाट
34 शिवकरण पुत्र महाराम जाट
35 मल्लाराम पुत्र महाराम जाट
36 भंवरीदेवी पत्नी महाराम जाट
37 नौरत पुत्र टोडाराम जाट
38 रामकरण पुत्र टोडाराम जाट
39 छोटाराम पुत्र टोडाराम जाट
40 शिवकरण पुत्र शंकरराम जाट
41 बलदेवराम पुत्र शंकरराम जाट
42 सायरी पत्नी शंकरराम जाट
43 भंवरीदेवी पत्नी मंगलाराम जाट
44 बींजाराम पुत्र मंगलाराम जाट
45 कमलीदेवी पत्नी ओमाराम जाट
46 सुखेदव पुत्र ओमाराम जाट
47 छोटीदेवी पत्नी हरलाल जाट
48 भला पुत्र उगराराम जाट
49 शिम्भू पुत्र पेमाराम जाट
50 धारुराम पुत्र पेमाराम जाट
51 प्रभूराम पुत्र कालूराम जाट
समस्त निवासीगण-लाम्बिया
तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. प्रोजेक्ट डाईरेक्टर आर0एस0आर0डी0सी0 प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी मेडतासिटी, पैकेज-2 तहसील मेडता सिटी, जिला -नागौर राजस्थान
2. अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग,हाल मेडतासिटी, जिला नागौर राजस्थान
3. तहसीलदार जैतारण, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:152/2011

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिशाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौके की रिपोर्ट से प्रतीत होता हैं कि सड़क निर्माण में वादीगण की भूमि एवं कुआ नहीं आता हैं। लिहाजा वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	–००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	–००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	–००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०५	–००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०२	–००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजानः–	०९	–००	मिजानः–	०१	–००

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह जो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner